

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
टोरेन्ट पावर लिमिटेड
"समन्वय", 600, तपोवन
अम्बावादी, अहमदाबाद-380015

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2023

विषय: जनपद सोनभद्र में 2400 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की
सैद्धांतिक अनुमति विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 09.05.2023 का संदर्भ लें। आपने उक्त पत्र के माध्यम से सोनभद्र जनपद, उत्तर प्रदेश के ग्राम शोमा में 2400 एवं शाशनाई में 2000 मेगावाट का ऑफ-स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। आपके उक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 06.05.2023 को शासन में प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.05.2023 निर्गत किया गया है। प्रस्तुतीकरण योजना के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :-

2. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP)

"पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट" एक क्लीन, ग्रीन एवं सेफ प्रोजेक्ट है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट को वाटर बैटरी भी कहा जाता है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट द्वारा फर्म, फ्लैक्सीबल तथा डिस्पैचेबल पावर का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की लाईफ 40-50 वर्ष है। यह परियोजना गैर प्रदूषणकारी है तथा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, मेन रीवर स्ट्रीम पर नहीं होने की वजह से रिवराईन इकोसिस्टम (riverine ecosystem) को परिवर्तित/डैमेज नहीं करता है। परियोजना में अप-फ्रन्ट कॉस्ट कम है तथा स्टोरेज की लागत भी कम है। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में कन्वेंशनल रूप से अपर एवं लोअर रिजरवायर (Upper and Lower Reservoir) दोनों रीवर स्ट्रीम पर होते हैं। ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक श्रेणी ओपेन लूप की होती है, जिसमें एक रिजरवायर मेन रीवर सिस्टम पर होता है और दूसरा रीवर स्ट्रीम से अलग होता है। क्लोज लूप पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में अपर एवं लोअर रिजरवायर दोनों ही रीवर कोर्स से अलग होते हैं। पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट में एक्सेस/रिन्युएवल/सस्ती एनर्जी होने के समय पानी को अपर रिजरवायर (Upper Reservoir) में पम्प किया जाता है। विद्युत की डिमाण्ड ज्यादा होने तथा विद्युत महंगा होने के समय में पानी को अपर रिजरवायर से लोअर रिजरवायर में ले जाकर बिजली जनरेट की जाती है। अतः पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पीक डिमांड के समय विद्युत उत्पादन करती है और पानी अपर रिजरवायर में स्टोर करने का काम जब विद्युत सस्ती होती है तब करती है।

Manoj

3. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP)- regarding. के प्राविधानों पर चर्चा की गयी। उक्त गाईडलाइन के पैरा-3, 3.1, (iv) में Self-Identified off-stream Pumped Storage Projects के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान है :-

"... In addition to the above methods, developers may also self-identify potential off-stream sites where PSPs can be constructed. Since these sites are away from the riverine system and do not utilize the natural resources like river streams, allotment from State Governments would not be required for the development of PSP projects on such sites. Further, all statutory clearances need to be obtained from State and Central agencies before starting construction. It will help in harnessing the off-stream potential in the country at a faster pace. Projects developed in such a manner would be provided all concessions mentioned in these guidelines, subject to the directions issued by the Government from time to time. "

4. पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मेसर्स टोरेन्ट पावर लि० द्वारा दिनांक 31.01.2023 को प्रदेश सरकार के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया है। कम्पनी द्वारा स्वयं पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए स्थल चयन कर सर्वेक्षण/डिटेल् प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detail Project Report) बनाने आदि का कार्य किया जा रहा है। कम्पनी का यह अनुरोध है कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के स्थल के विषय में काफी विस्तृत सर्वेक्षण करना होता है तथा डी०पी०आर० आदि बनाने में काफी ज्यादा समय व संसाधन लगता है, इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के पूर्व किए जा रहे सर्वेक्षण आदि के कार्य के लिए कम्पनी के आवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक पत्र निर्गत किया जाए ताकि एक साईट पर एक से ज्यादा कम्पनियों सर्वेक्षण आदि का कार्य न प्रारम्भ करें और इस तरह के किसी ओवर लैपिंग से बचा जा सके।

5. टोरेन्ट पावर कम्पनी-परियोजना का विवरण:

प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा 02 साईट पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। दोनों साईट को मिलाकर कुल 4400 मैगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है और परियोजना लागत रू. 24,200 करोड़ है। पहला साईट ग्राम शोमा, तहसील, राबर्टसगंज, जनपद सोनभद्र का है। कुल भूमि की आवश्यकता 350 हे० है, जिसमें 82 प्रतिशत वन भूमि है। शोमा एवं भिटलारी गॉव में इस प्रोजेक्ट में 2400 मैगावाट उत्पादन का लक्ष्य है और 6 घंटे का स्टोरेज प्रस्तावित है, इसकी साईकिल इफिसियेंशी (Cycle Efficiency) 76.1 प्रतिशत बतायी गयी है।

6. जल की आवश्यकता 41 एमसीएम बतायी गयी है तथा एनुअल रिप्लेशमेंट के लिए 4 एमसीएम की आवश्यकता बतायी गयी है।

7. दूसरा साईट शाशनाई तथा पलहारी गॉव, तहसील राबर्टगंज, जनपद सोनभद्र में है, जिसके लिए 28 एमसीएम जल की आवश्यकता बतायी गयी है तथा वार्षिक रिप्लेशमेंट 2.7 एमसीएम बतायी गयी है, इसकी साईकिल इफिसियेंशी 75.5 प्रतिशत है। कुल भूमि की आवश्यकता 350 हे० है, जिसमें 68 प्रतिशत वन भूमि है। परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव दिनांक 29.03.2023 को दिया गया है।

Manoj

8. टोरेंट पावर द्वारा प्रस्तावित दो साईट में एक साईट ग्राम शाशनाई की जेएसडब्ल्यू कम्पनी की साईट से ओवर लैप कर रही है, इसलिए टोरेंट पावर को सिर्फ पहले प्रोजेक्ट, जो शोमा गॉव में स्थित है, पर कार्य की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त अनुमति विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत इस विषय पर गाईडलाईन दिनांक 10.04.2023 के प्राविधानों के अधीन होगी तथा प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा सभी आवश्यक क्लीयरेंसेस सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त परियोजना के विकास की कार्यवाही की जाएगी। प्रोजेक्ट के लिए नदी से जल मानसून सीजन में सरप्लस फ्लो से लिया जाएगा तथा CWC की सहमति प्राप्त कर की जाएगी।


9. शासन स्तर पर आहूत बैठक दिनांक 06.05.2023 में अवधारित मत के क्रम में फर्म द्वारा जनपद सोनभद्र के ग्राम शोमा में स्थापित की जा रही 2400 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की जाती है—

1. टोरेंट पावर लि. द्वारा प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करके इन्वेस्ट यूपी एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UP New & Renewable Energy Development Agency) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. उक्त परियोजना हेतु टोरेंट पावर लि. द्वारा स्वयं की लागत एवं व्यय पर निजी समझौते एवं यथावश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से भूमि का अधिग्रहण प्रारम्भ किया जा सकता है।
3. राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल आवंटन की प्रक्रिया के साथ-साथ वार्षिक पुनर्भरण (Recouping) के प्राविधान को सुगम बनाएगी। यद्यपि, जल निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की ऋतु में तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग तथा केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।
4. राज्य सरकार द्वारा टोरेंट पावर लि. की उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र/राज्य सरकार की प्रचलित/वर्तमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस प्रकार की समस्त स्वीकृतियों/अनुमोदनों को प्राप्त करने हेतु इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए विभिन्न सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व टोरेंट पावर लि. का होगा।
5. टोरेंट पावर लि. द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए नियमों एवं प्रारूपों के अनुसार अपना आवेदन इन्वेस्ट यूपी में, प्रस्तुत किया सकता है। इन्वेस्ट यूपी द्वारा नीति के प्राविधानों एवं तत्कम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुसार आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी।
6. टोरेंट पावर लि. द्वारा सीएसआर (Corporate Social Responsibility) के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थानीय रूप से आस-पास के क्षेत्रों के लाभ के लिए सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

Manaf

7. परियोजना का विकास-इस विषय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्गत Guidelines to Promote Development of Pump Storage Projects (PSP) के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह) 25.5.23


अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ऊर्जा/वन/राजस्व/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0
4. मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
5. निदेशक, यूपीनेडा।
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा/सोनभद्र।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(जय वीर सिंह)

संयुक्त सचिव।